50

प्रस्ताव 50

2025-2026 के नियमित सत्र (प्रस्ताव अध्याय 156, 2025 के विधान) के विधानसभा संवैधानिक संशोधन 8 द्वारा प्रस्तावित इस संशोधन द्वारा इसमें एक अनुभाग जोड़कर स्पष्ट रूप से California के संविधान में संशोधन करता है; इसलिए, जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को *इटैलिक टाइप* में लिखा गया है ताकि यह दर्शाया जा सके कि ये नए हैं।

धारा XXI में प्रस्तावित संशोधन

पहला—इस विधेयक को "चुनाव में हेराफेरी पर प्रतिक्रिया संबंधी अधिनियम" के नाम से जाना जाएगा, और इस तरह से उद्धृत किया जा सकता है।

दूसरा—California राज्य के लोग निम्नलिखित सभी बातों को पाते और घोषित करते हैं:

(a) प्रेज़ीडेंट Donald Trump ने रिपब्लिकन-नेतृत्व वाले राज्यों से आग्रह किया है कि मतदान शुरू होने से पहले वे 2026 के संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में हेराफेरी करने के लिए कांग्रेस की सीटों के लिए दशक के मध्य में अभूतपूर्व ज़िलों का पुनर्विभाजन करें।

(b) Texas राज्य ने रिपब्लिकन को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए संसदीय निर्वाचन ज़िलों के पुनर्विभाजन नक्शों को फिर से बनाने के लिए अपने विधानमंडल का एक विशेष सत्र बुलाया है।

(c) Florida राज्य की विधानसभा ने रिपब्लिकन को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए दशक के मध्य में अभूतपूर्व ज़िलों के पुनर्विभाजन को आगे बढ़ाने के लिए एक चयन समिति की स्थापना की है।

(d) रिपब्लिकनों ने Ohio राज्य से आग्रह किया है कि वह कांग्रेस में अनुचित रूप से अधिक रिपब्लिकन सीटें पैदा करने के लिए मध्य दशक में ज़िलों का पुनर्विभाजन करे।

(e) Indiana, Missouri, New Hampshire, Nebraska, और South Carolina में रिपब्लिकन अधिकारी भी प्रेज़ीडेंट Trump की उस अपील पर विचार कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कांग्रेस की सीटों के दशक के मध्य में ज़िलों के पुनर्विभाजन का समर्थन किया है, ताकि रिपब्लिकनों को अनुचित लाभ मिल सके।

(f) प्रेज़ीडेंट Trump और रिपब्लिकन यह कोशिश कर रहे हैं कि ज़िलों के पुनर्विभाजन के जरिए इतनी सीटें हासिल की जाएँ कि 2026 के संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यावधि चुनावों के परिणाम को प्रभावित किया जा सके, चाहे लोग किसी भी तरह से मतदान करें।

(g) प्रेज़ीडेंट Trump की चुनाव में हेराफेरी की योजना हमारे लोकतंत्र के लिए एक आपातस्थिति है।

(h) 2026 के संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यावधि चुनाव मतदाताओं के लिए एकमात्र अवसर हैं कि वे प्रेज़ीडेंट Trump की खतरनाक नीति के खिलाफ़ शक्ति का आवश्यक संतुलन और नियंत्रण प्रदान कर सकें।

(i) California निष्पक्ष, स्वतंत्र और निर्दलीय ज़िलों के पुनर्विभाजन के लिए लंबे समय से राष्ट्रीय नेता के रूप में खड़ा रहा है।

(j) California सभी अन्य राज्यों से निष्पक्ष और तटस्थ नक्शे बनाने के लिए प्रतिबद्ध होने का आह्वान करता है।

(k) California का कर्तव्य है कि वह लोकतंत्र का संरक्षण करे।

(*l*) 2026 के संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यावधि चुनाव रिपब्लिकन को अनुचित लाभ दिए बिना सभी के लिए संघर्ष के मैदान को एक समान रखते हुए आयोजित किए जाते हैं।

(m) Trump की चुनाव में हेराफेरी की योजना के जवाब में आपातकालीन संसदीय निर्वाचन ज़िलों के नक्शों को मंजूरी देने के लिए, California के लोगों के हाथों को अधिकार देता है, न कि बैकरूम के राजनेताओं को।

(n) लोगों का इरादा क California के अस्थायी नक्शे इस तरह से बनाए जाएँ कि वे सभी समुदायों के निष्पक्ष प्रतिनिधित्व को कम किए बिना, रिपब्लिकन-नेतृत्व वाले राज्यों द्वारा किए जा रहे पक्षपाती निर्वाचन क्षेत्र विभाजन (जैरिमैंडरिंग) को निरस्त करें।

तीसरा—कि धारा XXI में अनुभाग 4 को इस तरह पढ़े जाने के लिए जोड़ा जाता है:

अनुभाग 4. (a) यह California राज्य की नीति है कि देश भर में निष्पक्ष, स्वतंत्र और निर्दलीय ज़िलों के पुनर्विभाजन आयोगों के उपयोग का समर्थन करे। California राज्य की जनता, संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस से आग्रह करती है कि वह संघीय कानून पारित करे और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में ऐसा संशोधन प्रस्तावित करे, जिससे पूरे देश में निष्पक्ष, स्वतंत्र और निर्दलीय ज़िलों के पुनर्विभाजन आयोगों का उपयोग करना अनिवार्य हो।

(b) 2025 में Texas में संसदीय निर्वाचन ज़िलों के पुनर्विभाजन के जवाब में, और इस संविधान या मौजूदा कानून के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, 2025–26 के नियमित सत्र के असेंबली बिल 604 में दर्शाए गए कांग्रेस के एक-सदस्यीय निर्वाचन ज़िले, जो चुनाव संहिता के प्रभाग 21 के अध्याय 5 (अनुभाग 21400 से शुरू करते हुए) की आवश्यकताओं के अनुसार हैं, को अस्थायी रूप से प्रत्येक संसदीय निर्वाचन ज़िलों के चुनाव के लिए उपयोग किया जाएगा, जिसकी अवधि उस तारीख से या उस तारीख के बाद शुरू होती है जब यह उप-प्रभाग लागू होता है और जब तक कि नागरिक ज़िला पुनर्विभाजन आयोग द्वारा उप-प्रभाग (d) के अनुसार तैयार की गई नई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीमा रेखाओं को प्रमाणित नहीं किया जाता।

(c) (1) किसी भी संसदीय निर्वाचन ज़िले के नक्शे के संबंध में, जो उप-प्रभाग (b) के अनुसार अपनाया गया हो, किसी भी कानूनी कार्रवाई का बचाव करने का एकमात्र अधिकार अटॉर्नी जनरल के पास होगा।

(2) California सुप्रीम कोर्ट के पास सभी मामलों में मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार होगा, जिनमें किसी भी संसदीय निर्वाचन ज़िले के नक्शे को चुनौती दी जाती है, जो उप-प्रभाग (b) के अनुसार अपनाया गया हो।

(d) अनुभाग 1 के अनुसार स्थापित ज़िला पुनर्विभाजन नागरिक आयोग 2031 में और उसके बाद अनुभाग 1 में हर 10 वर्षों में, अनुभाग 2 में निर्धारित मानकों और प्रक्रिया के अनुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, राज्य प्रशासनिक समितीय, विधानसभा और समानता बोर्ड के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा रेखाओं को समायोजित करता रहेगा।

चौथा—इस विधेयक के प्रावधान पृथक्कनीय हैं। अगर इस विधेयक का कोई भी भाग, अनुभाग, उप-प्रभाग, पैराग्राफ, धारा, वाक्य, वाक्यांश, शब्द या कार्यान्वयन किसी भी कारण से सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी न्यायालय के निर्णय द्वारा अवैध माना जाता है, तो वह निर्णय इस विधेयक के शेष भागों की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा। विधानमंडल एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उसने प्रस्ताव रखा होता, और मतदाता एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि उन्होंने इस विधेयक और इसके हर एक और प्रत्येक भाग, अनुभाग, उप-प्रभाग, पैराग्राफ, धारा, वाक्य, वाक्यांश, शब्द और कार्यान्वयन को अपनाया होता, जिसे अमान्य या असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया है, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि इस विधेयक का कोई भाग या इस विधेयक का कार्यान्वयन बाद में अमान्य घोषित किया जाएगा या नहीं।